

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 325 / 2025

अनवान : -

- 1 छत्रपाल पुत्र हरिशचन्द्र जाति **जाट** निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा त० टिब्बी ।
वादी
- बनाम
- 1 रूपेश पुत्र श्रवण कुमार जाति **कुमार** निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी ।
2 तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।
प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी सुभाष गर्ग व करनैल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं० 1 आर. डबल्यू डी के जंमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 25 / 7 में कुल 3.796 हे० आराजी वादी व प्रतिवादी सं० 1 के नाम से बहि०ब० तथा चक नं० 2 ए.जी. के खाता सं० 21 / 12 में अंकित कुल 0.7590 है० आराजी में वादी का 380 / 759 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 1 का 379 / 759 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी व प्रतिवादीगण के हकों की घोषणा की जाकर खाता व लगान निम्नप्रकार अलग से कायम किया जाता है-

क. वादी छत्रपाल को प्राप्त आराजी: - चकनं० 1 आर. डबल्यू डी के खाता सं० 25 / 7 के प०नं० 218 / 344 मु० 29 किलानं० 11, 12, 13 / .245 पश्चिमी दिशा, 18 / .245 पश्चिमी दिशा, 19, 20, 21 / .202, 22 / 2 / .203, 23 / 2 / 194 है० पश्चिमी दिशा,

ख. प्रतिवादी सं० 1 रूपेश को प्राप्त आराजी : - चकनं० 1 आर. डबल्यू डी. के प०नं० 218 / 344 मु० 29 किलानं० 6, 13 / .008 पूर्वी दिशा, 14, 15, 16, 17, 18 / .008 है० पूर्वी दिशा, 23 / 2 / .008 है० पूर्वी दिशा, 24 / 2 / .203, 25 / 2 / .203, चकनं० 2 एजी के खाता सं० 21 / 12 में कुल 0.759 है० आराजी में वादी छत्रपाल का 380 / 759 हिस्सा। इसी अनुसार यदि कृषि भूमि बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 18/8/25 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन महापंच (सत्यनारायण)
टिब्बी
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़